न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 58/2012 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— पृथ्वीराज पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी बालाराजपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

——— **अपीलान्ट**

— बनाम —

राजस्थान सरकार।

——— **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :— श्री ओ.पी.शर्मा — अभिभाषक अपीलांट
श्री विष्णु स्वामी — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 09.10.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति.जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन), जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 12.07.2012, जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 18/84 एसडीएम करणपुर, ओ. एस. नं. 84/91 डीएम श्रीगंगानगर निलम्बित किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 18/84 एसडीएम करणपुर, ओ.एस. नं. 84/91 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर 12 बोर गन सं. 8303812 दर्ज है, जो दिनांक 30.06.2011 तक नवीनीकृत था। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.5.2011 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर पुलिस से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 2190 दिनांक 04.07.2012 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 128/91 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी में दर्ज हुआ, नतीजा एफआर, निर्णय अदालत दिनांक 31.3.93 स्वीकृत एवं मुकदमा सं. 152/2000 अन्तर्गत धारा 302, 365, 342, 143, 341 आईपीसी में निर्णय अदालत सजा दि. 13.02.03 वर्तमान में पृथ्वीराज जमानत पर है व अपील माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन होने के कारण शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया जाना अनुचित है, की टिप्पणी की है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्री गंगानगर की रिपोर्ट एवं आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ड) की उल्लंघना करने के आधार पर अपीलांट का शस्त्र लाईसेंस अति.जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 12.7.12 द्वारा निलम्बित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अपीलांट के विरूद्ध दो आपराधिक मुकदमें, यथा मु.नं. 128/91 अन्तर्गत धारा 391 आईपीसी में दर्ज हुई, जिसमें बाद अनुसंधान एफ.आर. स्वीकृत हुई है। मु.नं. 152/2000 अन्तर्गत धारा 302, 365, 342, 143, 341 आईपीसी में चार वर्ष की सजा हुई है, जिसके आधार पर अपीलांट का लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई थी। अपीलांट के खिलाफ जो मुकदमा धारा 302, 365, 342, 143, 341 आईपीसी का बताया गया है, उसमें धारा 302 को नहीं माना गया है तथा धारा 304 आईपीसी में चार वर्ष की सजा हुई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अपीलांट की सजा को सस्पेंड कर रखा है। इस तथ्य की ओर अधिनस्थ न्यायालय का ध्यान दिलाया गया परन्तु इस पर कोई गौर नहीं किया गया। उक्त मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट का लाईसेंस गलत तथ्यों के आधार पर निलम्बित किया गया है। मु.नं. 152/2000 में जिस व्यक्ति की मृत्यु होना बताई गई है वह व्यक्ति गांव में चोरियॉ करने का आदि था तथा शराबी प्रकृति का व्यक्ति था। उसके खिलाफ करीब 20–25 मुकदमें न्यायालय में चल रहे थे और पूरा गांव उससे परेशान था। घटना वाले दिन सारे गांव के आदमी इकट्ठे होकर उस व्यक्ति को समझाया इस वजह से अपीलांट का नाम भी उस मुकदमें में किसी ने झूठा लिखा दिया। यह तथ्य भी अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये लेकिन इनको न मान कर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निलम्बित किया गया है, जो आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट कृषि कार्य करता है और बोर्डर ऐरिया का गांव है। अपीलांट को अपनी संपति की सार–संभाल के लिये दिन में व रात में भी खेत में जाना पड़ता है, जिसके लिये एवं स्वंय की सुरक्षा के लिये शस्त्र की अति आवश्यकता रहती है। अपीलांट शांति प्रिय व्यक्ति है और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का किसी प्रकार का कोई मुकदमा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

एवं शिकायत दर्ज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2012 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 04.07.012 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मु.नं. 128/91 एवं मुकदमा सं. 152/2000 दर्ज होने के कारण नवीनीकरण किया जाना अनुचित है, की टिप्पणी की गई है। अपीलांट को मु.नं. 152/2000 में चार साल की सजा हुई है और वह माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर से हुई जमानत पर चल रहा है। आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। प्रकरण में व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.12 उचित आधारों पर है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने अभिभाषक अपीलान्टएवं राज्य पक्ष सहायक लोक अभियोजक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मु.नं. 128/91 अन्तर्गत धारा 391 आईपीसी में दर्ज हुआ, जिसमें बाद अनुसंधान एफ.आर. स्वीकृत हुई है। मु.नं. 152/2000 अन्तर्गत धारा 302, 365, 342, 143, 341 आईपीसी में चार वर्ष की सजा हुई है । जिसके आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट में अपीलांट का शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा करने पर न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं0 84/91 डीएम गंगानगर विचाराधीन अपराधिक प्रकरण का निर्णय होने तक निलम्बित किया गया है । प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की गंभीरतम धारा 302 में मुकदमा चालान हुआ है और उसे दोषी मानते हुए चार साल की सजा दी है। अपीलांट ने सजा के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपील कर रखी है, उसमें उसे जमानत पर रिहा किया हुआ है। हम विद्वान लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त कथनों से सहमत हैं कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अपीलाधीन आदेश में यह भी उल्लेखित है कि शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारी के द्वारा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ड) की उल्लंघना की गई है। प्रकरण में अपीलान्ट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 84/91 डी. एम. गंगानगर को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विचाराधीन आपराधिक प्रकरण का निर्णय होने तक मात्र निलम्बित किया गया है। प्रकरण में व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.07.12 उचित आधारों पर है , जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है । अतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 12.07.2012 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

7. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 09.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर